प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

आदेश सुरक्षित किया गया :11.11.2025

आदेश पारित किया गयाः18.11.2025

रिट याचिका सेवा सं 6920/2016

मुकुंद लाल साहू पिता स्वर्गीय श्री दुलार राम साहू, उम्र लगभग 61 वर्ष सेवानिवृत्त कार्यालय सहायक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक,शाखा महुद, मचांदूर, राजनांदगांव, निवासी प्लॉट नंबर 17–बी,पांडुरंग कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 7, स्टेशन पारा, चिखली, राजनांदगांव,सिविल एवं राजस्व जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 – महाप्रबंधक (प्रशासन) अपीलीय प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय महादेव घाट रोड, सुंदर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ

2– अनुशासन प्राधिकारी–सह–क्षेत्रीय प्रबंधक, (दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक) अब छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव, जीई रोड, मुंद्राकुंज के पास, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

––उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु :––श्री विजय चावला, अधिवक्ता, श्रीमती नौशिना अली, अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :––श्री एन. नाहा रॉय, अधिवक्ता

(माननीय श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश)

सी. ए. वी. आदेश

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रस्तुत यह रिट याचिका दिनांक 01.09.2016 के आदेश (अनुलग्नक पी–1) को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी सेवा विनियम, 2013 (संक्षेप में 'विनियमन 2013') के नियम 39(2)(बी)(1) के प्रावधानों

के तहत 45,000 रुपये के जुर्माने के अधिरोपण के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

2. वर्तमान मामले के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता मुकुंद लाल साहू छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की सर्गी शाखा में 10.12.2004 से 13.06.2007 तक क्लर्क–सह–कैशियर के पद पर कार्यरत थे। 30.03.2013 को याचिकाकर्ता के खिलाफ उस अवधि के दौरान अनियमितताओं और कदाचार के आरोप में एक आरोप पत्र जारी किया गया था। आरोप था कि याचिकाकर्ता ने बैंक कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से नहीं किया और बैंक के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने में विफल रहे, जिससे बैंक को वित्तीय जोखिम में डाल दिया गया। 05.05.2013 को याचिकाकर्ता ने आरोप पत्र का जवाब देते हुए कहा कि वह बहीखाते के किसी भी दुरुपयोग या बैंक को वित्तीय जोखिम में डालने के लिए जिम्मेदार नहीं थे।

3. जांच जारी रही और अंततः जांच अधिकारी द्वारा 3 फरवरी 2015 को एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार, "आरोप सही पाए गए, लेकिन बहीखाते में प्रविष्टियाँ शाखा प्रबंधक के निर्देश पर संदेशवाहक–सह–सफाईकर्मी केशव राम साहू द्वारा की गई थीं और इस तथ्य को केशव राम साहू ने अपने बयान में भी स्वीकार किया है। इससे यह स्पष्ट रूप से नहीं सिद्ध होता कि आरोपी कर्मचारी मुकुंद लाल साहू ने ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इस बीच, याचिकाकर्ता 31.03.2015 को सेवानिवृत्त हो गए। 22.01.2016 को याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि "जांच रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ता को 24.07.2015 को भेजी गई थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने 24.08.2015 को अपना बचाव/उत्तर प्रस्तुत किया। उनके बचाव बयान, विभागीय जांच कार्यवाही, जांच रिपोर्ट और विभागीय जांच के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों/सबूतों की जांच करने के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक अधिकारी और कर्मचारी सेवा विनियम, 2013 की धारा 39(2)(ख)(1) के तहत याचिकाकर्ता पर 45,000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। याचिकाकर्ता को 15 दिनों के भीतर यह उत्तर देने का निर्देश दिया गया था कि उन्हें प्रस्तावित दंड से क्यों दंडित नहीं किया जाना चाहिए"।

5. याचिकाकर्ता ने 18.02.2016 को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया। हालांकि, 14.03.2016 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 ने जांच अधिकारी के मत से असहमति जताते हुए यह माना कि याचिकाकर्ता ने ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं

किया और 2013 के विनियमों के प्रावधानों के तहत उस पर 45,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।इस प्रकार के जुर्माने के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने इस उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 1267/2016 दायर की, जिसका निपटारा दिनांक 28.04.2016 के आदेश द्वारा किया गया और याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष अपील दायर करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता की अपील को बाद में प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 01.09.2016 के विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया, जिसे वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का एकमात्र तर्क यह है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट में दिए गए मत को स्वीकार न करने के लिए कारण बताओ नोटिस में कोई कारण/स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कारण बताओ नोटिस में किसी कारण या आधार के अभाव में, यह एक खोखली औपचारिकता मात्र है जिससे दोषी कर्मचारी को गंभीर हानि होगी और इसलिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय की पुष्टि करने वाले विवादित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **राम किशन बनाम भारत संघ और अन्य (1995) 6 एससीसी 157, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम कुंज बिहारी मिश्रा (1998) 7 एससीसी 84 और योगिनाथ डी बैज बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (1000) 7 एससीसी 730** के मामलों में दिए गए निर्णयों का उल्लेख दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से असहमत होने और जुर्माना लगाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 14.03.2016 के आदेश को पारित करने में कोई अवैधता या खामी नहीं की है।

8. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

9. याचिकाकर्ता को दिनांक 22.01.2016 को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस इस प्रकार है:

आपको सुपुर्द किये गये आक्षेप सह आरोप पत्र क्रमांक प्र.का./वि.अ.मा.–314/2012–13 दिनांक 30/03/2013 पर जाँच अधिकारी द्वारा विभागीय जाँच कार्यवाही कर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसकी छायाप्रति आपको दिनांक 24/07/2015 के माध्यम से प्रेषित की गयी थी। आपने दिनांक 24/08/2015 को जाँच प्रतिवेदन पर बचाव प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। आपके द्वारा प्रस्तुत बचाव प्रतिवेदन, विभागीय जाँच कार्यवाही का विवरण, जाँच प्रतिवेदन और विभागीय जाँच के दौरान प्रस्तुत

दस्तावेजों / साक्ष्यों के अवलोकन पश्चात अनुशासनिक अधिकारी द्वारा आपको छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक अधिकारी और कर्मचारी सेवा विनियम 2013 की कण्डिका 39 (2) (ख) (i) के अंतर्गत निम्नानुसार दण्ड से दण्डित करने का अनन्तिम निर्णय लिया गया है । कृपया इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर अवगत करायें कि क्यों न आपको प्रस्तावित दण्ड से दण्डित किया जावे ।

मैं (अनुशासनिक अधिकारी / क्षेत्रीय प्रबंधक), छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक अधिकारी और कर्मचारी सेवा विनियम 2013 की कण्डिका 39(2) (ख) (i) के अंतर्गत श्री मुकुन्द लाल साहू को रु 45000/–(रू पैंतालिस हजार मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित करने का अनन्तिम आदेश पारित करता हूँ।

10. कारण बताओ नोटिस के अवलोकन से पता चलता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जांच अधिकारी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण/निष्कर्ष से असहमत होने का कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

11. जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से इंगित नहीं करता है कि आरोपी कर्मचारी मुकुंद लाल साहू ने ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उक्त निष्कर्ष से असहमति जताते हुए माना कि याचिकाकर्ता ने ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया और उस पर 45,000 रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने कारण बताओ नोटिस में जांच अधिकारी के विपरीत निर्णय लेने का कोई कारण नहीं बताया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. **राम किशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (1995) 6 एससीसी 157** में इस विवाद्यक पर चर्चा करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक अनुशासनात्मक प्राधिकारी कारण बताओ नोटिस में विशिष्ट कारण नहीं देता है, जिसके आधार पर जांच अधिकारी के निष्कर्ष आधारित हैं, तब तक दोषी कर्मचारी के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत कराने के लिए संतोषजनक कारण देना मुश्किल होगा और कंडिका–10 में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

10. अगला प्रश्न यह है कि क्या कारण बताओ नोटिस विधिवत वैध है। यह सत्य है, जैसा कि अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने उचित तर्क दिया है, कि कारण बताओ नोटिस में उन कारणों का उल्लेख नहीं है जिनके आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से असहमति व्यक्त करने का प्रस्ताव रखा है। जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति की स्थिति में कारण बताओ नोटिस का उद्देश्य दोषी को यह प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच रिपोर्ट में दिए गए

कारणों से जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से असहमत नहीं है, या वह जांच अधिकारी के निष्कर्ष के समर्थन में अतिरिक्त कारण प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में, यदि प्रारंभिक प्राधिकारी कारण बताओ नोटिस में विशिष्ट कारण बताता है, जिसके आधार पर जांच अधिकारी ने अपने निष्कर्ष दिए हैं, तो दोषी अधिकारी के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत कराने के लिए संतोषजनक कारण देना कठिन होगा। कारण बताओ नोटिस में किसी आधार या कारण का अभाव होने पर यह एक खोखली औपचारिकता मात्र रह जाती है, जिससे दोषी अधिकारी को गंभीर हानि होगी और उसके साथ अन्याय होगा। केवल इस तथ्य से कि अंतिम आदेश में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से असहमत होने के कुछ कारण दिए गए हैं, दोष दूर नहीं हो सकता। लेकिन, इस मामले के तथ्यों के आधार पर, केवल यही आरोप स्वीकार किया गया है कि अपीलकर्ता ने वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया था। चूंकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने कहा है कि वह इस आरोप से आंशिक रूप से सहमत है, इसलिए कारण बताओ नोटिस में भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में निकाला गया अस्थायी निष्कर्ष अस्पष्ट नहीं कहा जा सकता। इसलिए, इस मामले के तथ्यों के आधार पर, हमें यह मानने का कोई औचित्य नहीं मिलता कि कारण बताओ नोटिस कानून की त्रुटि से दूषित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. **पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम कुंज बिहारी मिश्रा के मामले में, जो (1998) 7 एससीसी 84** में रिपोर्ट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राम किशन (उपरोक्त) में अपने पूर्व के निर्णय पर भरोसा करते हुए कंडिका–19** में निम्नानुसार कहा:

19. उपरोक्त चर्चा का निष्कर्ष यह होगा कि नियम 7(2) में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, जब भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी किसी आरोप के विषय पर जांच प्राधिकारी से असहमत होता है, तो ऐसे आरोप पर अपने निष्कर्ष दर्ज करने से पहले, उसे असहमति के अस्थायी कारणों को दर्ज करना होगा और दोषी अधिकारी को अपने निष्कर्ष दर्ज करने से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा। जांच अधिकारी की रिपोर्ट, जिसमें उसके निष्कर्ष शामिल हैं, को सूचित किया जाना चाहिए और दोषी अधिकारी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच अधिकारी के अनुकूल निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए राजी करने का अवसर दिया जाएगा। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत यह अनिवार्य करते हैं कि अंतिम निर्णय लेने और दंड लगाने का अधिकार रखने वाला प्राधिकारी, कदाचार के आरोपी अधिकारी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अधिकारी के खिलाफ लगाए

गए आरोपों पर अपने निष्कर्ष दर्ज करने से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर दे।

14. इसी प्रकार, **योगिनाथ डी बैज बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में, जिसका उल्लेख (1999) 7 एससीसी 739** में किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने कुंज बिहारी मिश्रा (उपरोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांतों पर भरोसा किया और कंडिका–31 में निम्नानुसार टिप्पणी की:

31. उपरोक्त के तहत, दोषी कर्मचारी को न केवल जांच अधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच कार्यवाही के दौरान सुनवाई का अधिकार है, बल्कि उस चरण में भी सुनवाई का अधिकार है जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उन निष्कर्षों पर विचार किया जाता है और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा यह अस्थायी राय बनाई जाती है कि वह जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत नहीं है। यदि जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष दोषी के पक्ष में हैं और यह माना गया है कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, तो उन निष्कर्षों को पलटने से पहले दोषी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देना और भी आवश्यक है। राय का गठन अस्थायी होना चाहिए, अंतिम नहीं। इसी स्तर पर दोषी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, जब उसे उन कारणों से अवगत कराया जाए जिनके आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमति व्यक्त की है। यह संविधान के अनुच्छेद 311(2) की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि इसमें प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को तब तक बर्खास्त, पदच्युत या पदावनत नहीं किया जाएगा, जब तक कि जांच पूरी न हो जाए, जिसमें उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से अवगत कराया गया हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो। जब तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक जांच लंबित मानी जाएगी। जांच संबंधी निष्कर्ष अनुशासनात्मक प्राधिकारी को सौंपने मात्र से ही जांच कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती। जांच कार्यवाही तभी समाप्त होगी जब अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निष्कर्षों पर विचार कर लिया जाएगा और आरोप या तो सिद्ध नहीं पाए जाएंगे या सिद्ध हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में दोषी को दंड दिया जाएगा। ऐसे में, दोषी को अंतिम चरण तक "सुनवाई का अधिकार" प्राप्त रहेगा। यह अधिकार कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है, जिसे किसी भी विधायी अधिनियम या सेवा नियम, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए नियम भी शामिल हैं, द्वारा छीना नहीं जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधि के उपरोक्त सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि जब भी अनुशासनात्मक प्राधिकारी किसी आरोप पर जांच अधिकारी के निष्कर्ष

से असहमत होता है, तो ऐसे आरोप पर अपना निष्कर्ष दर्ज करने से पहले, उसे असहमति के अस्थायी कारण दर्ज करने होंगे और दोषी कर्मचारी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अभ्यावेदन दाखिल करके जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए अनुकूल निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए राजी करने का अवसर देना होगा। हालांकि, वर्तमान मामले में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने कारण बताओ नोटिस में जांच अधिकारी की रिपोर्ट/निष्कर्ष से असहमति का कोई कारण नहीं बताया है। कारण बताओ नोटिस में किसी आधार या कारण का अभाव मात्र एक औपचारिकता है जिससे दोषी कर्मचारी को गंभीर हानि होगी और उसके साथ अन्याय होगा। अतः, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।

16. याचिकाकर्ता 31.03.2015 को सेवानिवृत्त हुए थे। अतः, इस स्तर पर मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को पुनः कार्यवाही के लिए वापस भेजना न्याय के हित में नहीं होगा।

17.उपरोक्त कारणों से, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और आक्षेपित आदेश तथा अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता पर जुर्माना/दंड लगाने का आदेश रद्द किया जाता है। प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों से काटी गई जुर्माना/दंड राशि जारी करने का निर्देश दिया जाता है। दोषी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद से 10–12 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–

संजय कुमार जायसवाल,

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur